21. संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण (संस्था) है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योकि इसका गठन संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की स्वतंत्रता व शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संयोजन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी का विस्तार से वर्णन किया गया है।

गठन

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कई सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग का संयोजन निर्धारित करता है। साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत नौ से ग्यारह सदस्य होते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

आयोग के अध्यक्ष पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करता है। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है–

- जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो।
- जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो।

पद से हटाना

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है-

- अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है।
- अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को हटा सकते हैं। संविधान के इस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा, अगर वह (क) भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार में संबंधित है। (ख) निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है।

स्वतंत्रता

संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं–

- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद के पुन: नहीं नियुक्त किया जा सकता (दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं)।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से मिलते हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (कार्यकाल के बाद) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन (नौकरी) का पात्र नहीं हो सकता।
- हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं लेकिन नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कार्य

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है-

- अल्पकालीन नियुक्ति एक वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों की नियमितकरण से संबंधित विषय।
- सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मसला।
- संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है।
- संघ लोक सेवा आयोग राज्य (दो या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने) को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है।

- राज्यपाल की अनुमति व राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राज्य की जरूरतों को पूरा करना।
- निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है-
- सिविल सेवाओं और सिवलि पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।
- सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है।
- यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है।

सीमाएं

निम्नलिखित विषय यूपीएसी के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं।

- राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है।
- सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु।
- आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, राजनयिक की उच्च पद, ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले।
- पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मसले पर।

कर्मचारी चयन आयोग

कर्मचारी चयन आयोग एक केंद्रीकृत संस्था है जिस पर केंद्र सरकार के अंतर्गत मध्यम व निम्न सेवाओं के लिए लोगों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी है। एसएससी का गठन 1975 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इसे कार्मिक मंत्रालय से जुड़े कार्यालय की हैसियत प्राप्त है और यह परामर्शदात्री संस्था के तौर पर काम करती है। इसमें अध्यक्ष, दो सदस्य, सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होते हैं। अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, का होता है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

राज्य लोक सेवा आयोग

केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्तियों व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

गठन

राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। जिन्हें राज्य का राज्यापाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, अपना पद धारण कर सकते हैं राज्यपाल दो परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं-

- जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो।
- जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो।

पद से हटाया जाना

भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता हैं (राज्यपाल नहीं)। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। अत: उन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है-

- अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।
- अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो।

इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है परंतु ऐसे मामलों को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना होता है। संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है।

स्वतंत्रता

संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य (कार्यकाल के बाद) को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता (यानी दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं)।
- अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है। अतः नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि से मिलते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (कार्यकाल के बाद) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है।

कार्य

राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है–

- सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में, प्रोन्नति, या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्ता पर ।
- राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा करना। राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे ज्ञापन विधान मंडल के समक्ष रखता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है।
- यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है।
- निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है-
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।
- सिवलि सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में।

सीमाएं

निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधि कार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता–

- सेवाओं में नियुक्ति पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर।
- पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या आरक्षण के मसले पर।

राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

दो या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया गया है। वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया गया है। इस तरह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक वैधानिक संस्था है न कि संवैधानिक। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है।